न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

प्रकरण संख्या 25/18/राजसंमद/आर्डर/घीसूलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.18	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.16 के समय अपीलान्ट को सूचित किये जाने या सुने जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तद्नुसार अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.16 के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किये जाने में हुए विलम्ब को दफा–5 जायदा मियाद के आवेदन व अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपीलान्ट श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जायदा दीवानी का आवेदन पेश कर विवादित आराजी के साथ जिला कलक्टर, राजसमंद के अपील संख्या 14/15 निर्णय दिनांक 20.05.18 से अपीलान्ट के विरूद्ध नायब तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रकरण संख्या 1027/15 में आराजी नं. 469/375 में इसी अपीलाधीन आदेश की 3 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट को बेदखली आदेश को अपास्त कर नायब तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हैं तद्नुसार अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के संदर्भ में निसन्देह आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार हैं अतएवं उसे अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा दी जाती हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन	

आदेश दिनांक 08.12.16 से ग्राम लवाणा के आराजी नं. 469/375 रकबा 6 बीघा, 10 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया हैं। जब कि प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से इसी 3 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होकर उसके बेदखली आदेश को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपील संख्या 14/15 निर्णय दिनांक 29.05.18 से अपास्त कर दिया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अभी भी अपीलाधीन भूमि पर से अपीलान्ट की बैदखली बाबत् अन्तिम निर्णय नहीं होकर भूमि अधिवासित हैं तथा अपीलान्ट के कब्जे बाबत् तथा बैदखली बाबत् अन्तिम निर्णय तहसील स्तर से किया जाना वांछनीय हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.16 को आरक्षित की गई भूमि अनाधिवासित नहीं हैं एवं इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय का आरक्षण आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता हैं कि प्रकरण में भूमि को अनाधिवासित होने बाबत् तहसील स्तर से पूर्ण जांच करवाकर उभय पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.12.18 को पेश हो। पत्रावली सुमार फैसल हो आदेश सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर